उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या 17 /2015/1007/ सत्रह -म- 2015, 6-9 (43)/2015

लखनऊ : दिनांक 26 जून,2015

<u>शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत नवीन योजना के रूप में सम्मिलित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण के लिए जारी वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 16/2015/845/सत्रह-म-2015,6-9(43)/2015 दिनांक 11 जून,2015 के संलग्नक में त्रुटिवश इकाई धनराशि रू0 हजार टंकित हो गया है, जिसको संशोधित कर इकाई धनराशि रू0 हजार के स्थान पर इकाई धनराशि रू0 पढा जाय।

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>संख्या /2015/1007(1)/ सत्रह -म- 2015,तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार(लेखापरीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
5- वित्त - (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 /नियोजन अनु0-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।